

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 481(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 25.05.2005 की अधिसूचना सं० का०आ० 708 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन, चेन्नै, शांति कालोनी, चौथा एवेन्यु,

अन्ना नगर, चेन्नै, तमिलनाडु-600040” द्वारा “एसएमएफ-सीएएनएसटीओपी [कैंसर सपोर्ट थैरेपी टू ओवरकम पेन]” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं० 12 पर विनिर्दिष्ट किया था; और जिसे बाद में दिनांक 18.03.2009 की अधिसूचना सं० का०आ० 761 (अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं० का०आ० 1878 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 9 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन, चेन्नै, शांति कालोनी, चौथा एवेन्यु, अन्ना नगर, चेन्नै, तमिलनाडु-600040” द्वारा चलाई जा रही “एसएमएफ-सीएएनएसटीओपी [कैंसर सपोर्ट थैरेपी टू ओवरकम पेन]” की परियोजना अथवा स्कीम को 121.00 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 111/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)